

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

रज. नं० से मृतक नारायणलाल, सुब्बाराय, हर-  
 लाललाल पुष्पगण बाबूराम का नाम हजद किया  
 जाता है। तथा तहसीलदार खड्डेला को आदेश दिया  
 जाता है कि आप विवादग्रस्त आराजी का विवादित  
 पक्षधारण को प्रचित करते हुए उनकी उपस्थिति में  
 मौजूद निरीक्षण कर "वाई सीटल एंड वाउच" के  
 आधार पर एवं रास्ता कायम करते हुए सूचक  
 सूचक लगान कायम कर, नकशा ट्रेस में तरमीम  
 करवाते हुए विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा  
 कर प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी  
 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित  
 करें। वास्तु प्राप्त होने विस्तृत विभाजन प्रस्ताव  
 पर्यावली दिनांक 05-11-2020 को पेश हो।



*(राजेश कुमार)*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 खण्डेला (सीकर)

22/12/2020 पक्षीय वादीगण द्वारा प्रस्तुत  
 प्रार्थना-पत्र तहसीली सूचीकार किया जाने पर  
 पर्यावली पूर्व नियत दिनांक पेशी 07-01-  
 2021 से तहसील की जाकर आज पेश हुई।  
 वृद्धाय उभय पक्ष उप। प्रारम्भिक डिप्टी  
 की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव  
 को अभिलेख पर लिया जाता है। वृद्धाय उभय  
 पक्ष ने विस्तृत विभाजन प्रस्ताव से पूर्वतः  
 सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विस्तृत  
 विभाजन प्रस्ताव प्रकरण में अन्तिम डिप्टी  
 जारी किए जाने का निवेदन किया।



पर्यावली पर उपलब्ध राजस्व  
 रिकार्ड एवं प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव  
 का अवलोकन किया गया। सूचक विस्तृत  
 विभाजन प्रस्ताव से वृद्धाय उभय पक्ष सहमत  
 हैं। अतः पाद, वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन

प्रस्ताव अन्तिमरूपेण डिडी डिया जाता है।  
 विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिडी  
 का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन  
 प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद  
 हो तथा तदनुसार पंचा डिडी मुर्गीव. हो।  
 पचावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से  
 कम हो तथा बाद तडमील दाखिल वफ़र  
 हो। यह निर्णय आज दिनांक 22-12-2020  
 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया  
 गया।

(राकेश कुमार)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 खण्डेला (सीकर) RAS  
 उपखण्ड अधिकारी  
 खण्डेला (सीकर)



लेम

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला

जलास श्री राजेश कुमार RAS

ना नूराम पुत्र बालूराम बनाम 1 रामपाल पुत्र नारायण सिंह \*

दावा तावत जोषणा, पुकारी, तकारमा व स्वार्थ निवेधारी

मुकदमा नं. 58 सन 2020

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कर्तई रूबरू श्री राजेश कुमार RAS

हाजिरी श्री भजनाराम एस० गिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री राजेश जोषण एस०

गिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वाद, वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिमरूपेण डिही डिजा जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिही का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में अमल दरायद ही।

नेज  मुबलिंग  तावत

अर्चा इस मुकदमे के मस सूद वशरह फीरदी कमाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक  का अदा करें।

वसत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

22 12 2020

माह सन को

जारी की गई।



मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			तावत इजराय हुकमनामा		
तावत इजराय हुकमनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
गीजान			गीजान		

\* खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया यह ओ का अर्जी, दर्ज करवा करिए।

- ✕ ② फूलचन्द पुत्र सुब्बाराय पौत्र बालूराम  
 ③ पतासी पत्नी सुब्बाराय पुत्रवधु बालूराम  
 ④ सुभाष चन्द ⑤ अशोउ कुमान ⑥ विजयकुमान  
 पुत्रगण हरलालसिंह पौत्रगण बालूराम  
 ⑦ मोहनीदेवी पत्नी हरलालसिंह पुत्रवधु बालूराम  
 समस्त जाति जाट निवासी खानपुरा तहसील खेला  
 जिला सीकर (राज०)

- (वादीगण)

बनाम

- ✕ पौत्र बालूराम  
 ① सुन्दरी देवी पत्नी नारायणसिंह पुत्रवधु बालूराम  
 समस्त जाति जाट निवासी हमीरपुरा तहसील  
 खेला जिला सीकर (राज०)  
 ② भूमिधारी तहसीलदार खेला  
 ④ पंजाब नेशनल बैंक शाखा बागी जरिद मैनेजर

- (प्रतिवादीगण)



उपखण्ड अधिकारी  
 खण्डेला (सीकर)